अध्याय XII

सतर्कता

इस्पात मंत्रालय

इस मंत्रालय की सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो संयुक्त सचिव स्तर के हैं और इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से की गई है। मुख्य सतर्कता आयोग की सलाह से की गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक निदेश और एक अवर सचिव तथा सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के केन्द्र के रूप में कार्य रकता है। सतर्कता इकाई अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है-

(i) अनाचार/प्रलोभन सम्भावित संवेदनशील क्षेत्र अभिज्ञात करना और सरकार के कार्य में ईमानदारी/दक्षता सुनिश्ति करने के लिए के लिए निवारक उपाय करना।

(ii) भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करना।

(iii) शिकायतों की संवीक्षा और उचित जांच उपाय शुरू करना।

(iv) निरीक्षण और इनसे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई।

(v) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच रिपोर्टों के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियां केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना।

(vi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर विभागीय कार्यवाही के संबंध में उचित अथवा अन्यथा कार्रवाई करना।

(vii) जहां आवश्यक हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग से पहले और दूसरे चरण की सलाह लेना;

(viii) जहां आवश्यक हो, दंड की प्रकृति और मात्रा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेना

(ix) केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करना।

(x) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के निरुद्ध आरोपों के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए शिकायतों की जांच करना।

सरकारी क्षेत्र के 11 उपक्रम इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में सभी उपक्रमों में सतर्कता इकाई का अध्यक्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया मुख्य सतर्कता अधिकारी है।

वर्ष 2002-03 (मार्च, 2004 तक) के दौरान इस मंत्रालय को कुल 38 शिकायतें प्राप्त हुई। इनकी जांच करने के बाद जहां आवश्यकता हुई, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इनमें से 22 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। शेष 16 शिकायतें जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

वर्ष के दौरान लम्बित मामलों को कम करने, प्रणाली को स्ट्रीम लाइन करने और अच्छा काम करने के लिए संयंत्रों/इकाइयों को लोच शीलता उपलब्ध कराने, कार्यकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया गया। कम्पनी के पूर्ण विश्वास बनाने के लिए प्रयास किए गए जो शीघ्र निर्णय लेने के लिए समय की आवश्यकता है।

कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सभी लम्बित जांचों और विभागीय जांचों को समय पर करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

सतर्कता कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण पर बल दिया गया जिसमें अचल परिसम्पत्ति विवरणी के कम्प्यूटरीकरण को पूरा करना और एम आई एस के लिए आंकड़ा आधार विकसित करना शामिल है।

सतर्कता की भूमिका को डीमैस्टीफाई करने और कम्पनी द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए सतर्कता कार्यकलापों और लाइन मैनेजरों के बीच नियमित आधार पर विचार-विमर्श आयोजित किया गया। सभी संयंत्रों और इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल में सतर्कता निवारक सतर्कता पर बल देने वाला प्रभावी प्रबंधन उपाय सिद्ध हुआ है। सतर्कता विभाग ने अनेक उपाय किए हैं जैसे पद्धति बनाना, समीक्षा करना, संवेदनशील पदों और संगठन में भ्रष्टाचार के सम्भावित स्थानों और बिन्दुओं को अभिज्ञात करना, क्वालिटी नमूना तथा रेल/सड़क भार की नियमित रूप से जांच करना, गैर-सतर्कता कार्मिकों में जागरूकता पैदा करना और सी वी सी तथा इस्पात मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों को परिचालित करना। विद्यमान प्रक्रियाओं/प्रणालियों में जहां आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई/सुधार करने के लिए सतर्कता टिप्पणियां संबंधितों के नोटिस में लाई गई।

सी बी आई के साथ सम्पर्क बनाए रखा गया। लम्बित मामलों की आवधि के रूप से समीक्षा की गई और उन्हें पूर्ण सहयोग दिया गया।

Untitled-4 102 9/30/04, 11:11 AM

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एम एस डी सी)

अपने कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता लाने के लिए कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान विशेष प्रयास किए गए। लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने पर विशेष बल दिया गया।

कम्पनी के विस्तार और विविधीकरण तथा बदलते कारोबार परिवेश को अपनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ई-टेंडरिंग शुरू की है।

औचक जांच और नियमित सतर्कता कार्यकलापों से कम्पनी की विद्यमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुन्वास बनाने में सहायता मिली है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल)

औचक जांच तथा निरीक्षण और विद्यमान प्रणालियों के विश्लेषण की प्रणाली वर्ष 2003-04 के लिए सतर्कता कार्यकलापों का प्रमुख आधार रही। शिक्षा प्रद और निवारक उपायों पर बल दिया गया।

दो क्षेत्रों अर्थात् (क) सरान और देय विलम्ब शुल्क प्रभार, तथा (ख) निविदा एवं करार को अपर्याप्त संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया।

भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने प्रबंधन के एक प्रभावी भाग के रूप में काम किया और निवारक सतर्कता, प्रणाली सुधार और पारदर्शिता पर काफी बल दिया गया।

Untitled-4 103 9/30/04, 11:11 AM